FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

मिसल संख्या 87 / 2024

प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

माफी मंदिर श्री बिहारी जी महाराज वाके सिंघाना
जरिये वाद मित्र (काश्तकार) सुलतान पुत्र जालिम राम जाति जाट
निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

बनाम

दाताराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुग हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.06.2024	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत रास्ता कायमी का प्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री गिरधारीलाल सैनी ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। अत. दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव मनन किया। एडमिट स्तर पर ही अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। देव स्थान विभाग राजस्थान जयपुर के राज–पत्र दिनाक 25.06.1981 के अनुसार प्रार्थी (मंदिर) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एव नियन्त्रित राजकीय आत्मनिर्भर एव राजकीय सुपुर्दगी मन्दिर नही है। उक्त मंदिर ग्रामीण अचलो मे स्थित अराजकीय मंदिर है। ग्रामीण अचलो मे स्थित अराजकीय मंदिरो के प्रबन्धन एव वाछनीय उचित व्यवस्था करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमाक प. 6 (17) प्र.सु. / अनु.3 / 2002 दिनाक 07.12.2009 से उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता मे 6 सदसीय स्थायी समिति का गठन किया गया है अर्थात ग्रामीण अचलो मे स्थित अराजकीय मन्दिरो के प्रबन्धन एव वाछनीय उचित व्यवस्था का अधिकार केवल उक्त स्थायी समिति मे ही निहित है। लिहाजा :: आदेश :: अत. उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से एडमिट स्तर पर ही अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनाक 26.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 26/6/24 (सविता शर्मा) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी